

1 प्ररुप सं. 3गख

[नियम 6छ (1) (ख) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

नियम 6छ के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में

*में/हमने (नाम)
..... (पता) 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] इससे संलग्न 31 मार्च, से प्रारंभ होने वाली
..... को समाप्त होने वाली अवधि के लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा की जांच की है।

2. *में/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि तुलन-पत्र और *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा
..... स्थित मुख्यालय और**
..... स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

3.(क) *में/हम निम्नलिखित संप्रेक्षण/टिप्पणियां/विसंगतियां/असंगतियां, यदि कोई हों, रिपोर्ट* करता हूं/करते हैं :

(ख) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए,-

(अ) *में/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(आ) *मेरी/हमारी राय में, जहां तक बहियों की *मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है, निर्धारिती के मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित बहियां रखी गई हैं।

(इ) *मेरी/हमारी राय में, *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाओं पर लिखे गए टिप्पणों के, यदि कोई हों, साथ पठित उक्त लेखाओं में निम्नलिखित को सत्य और सही रूप में प्रदर्शित किया गया है :-

(i) तुलन-पत्र की दशा में, 31 मार्च, को यथा विद्यमान निर्धारिती के कार्यकलापों की स्थिति को ; और

(ii) *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्धारिती का *लाभ/हानि या *अधिशेष/कमी को।
.....

4. धारा 44 कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण प्ररुप 3गघ में संलग्न है।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररुप सं. 4 गघ में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं, यदि कोई हों :

1. आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2014 द्वारा 25.7.2014 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, प्ररुप सं. 3गख, आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1999 द्वारा 4.6.1999 से प्रतिस्थापित, आय-कर (संशोधन) नियम, 1985 द्वारा 1.4.1985 से अंतःस्थापित और आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2004 द्वारा 1.12.2004 से संशोधित किया गया था।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

